

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 35 वाहनों से 53,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 24.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 35 वाहनों से 53,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।